सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 73 राँची, बुधवार, 6 फाल्गुन, 1947 (श०) / 25 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 फ़रवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-01-02/2019 का० 917--जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1888, दिनांक- 31.03.2022 के माध्यम से प्राप्त प्रशासन सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक- 725, दिनांक- 26.09.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र तथा प्रशासन सुवर्णरखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक- 268, दिनांक- 01.12.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- वर्ष 2015 में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजाघाघाडीह, थाना-घाटशिला, थाना नं0-1169 में खरकई बराज से निकलने वाले दाँयी मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की तैयार किये गए खेसरा में से खाता सं0-43, प्लॉट संख्या-5282, रकबा-0.77 एकड़ मुआवजा भुगतान के पश्चात पंचाटी से चेक लेकर श्री रूद्रप्रसन्न आचार्य, मापक तथा श्री राम नगीना गुप्ता, प्रभारी रोकड़पाल के माध्यम से श्री मोंगला मुर्मू के A/c No.- 453310310000543 से अवैध रूप से राशि प्राप्त किया गया है।

आरोप संख्या-2:- वर्ष 2013 में अभिलेख सं0-121/2012-13 ग्राम-घाघीडीह, चादर सं0-2, थाना-घाटशिला, थाना सं0-1169, जिला पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत खरकई बराज से निकलने वाली दाँयी मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की तैयार किये गये खेसरा में से खाता संख्या-30, प्लॉट सं0-5146, रकबा- 1.42 एकड़ जो जुगसलाई, गौरक्षी गौशाला के खतियानी भूमि है, की पंचाटित राशि को फर्जी एकरारनामा एवं गलत दखल संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर रू0 1.73 करोड़ के गलत भुगतान का प्रयास किया गया है ।

2. समीक्षोपरांत, श्री बास्के के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 24943 (HRMS), दिनांक-10.11.2023 के द्वारा श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक-356, दिनांक-15.05.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री बास्के के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी सक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है ।

6. अतः श्री लखी राम बास्के के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लखी राम बास्के को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ ।

8. श्री लखी राम बास्के के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. विभागीय संकल्प संख्या 24943 (HRMS), दिनांक- 10.11.2023 के द्वारा श्री बास्के के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

10. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 73 - 50